न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 24/2023(GCMS 2023/103)
(आरटीआई नं. 212040497374802)

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गुरमुख सिंह मार्फत श्री अजीत सिंह एडवोकेट निवासी म.नं. 3/8, वार्ड नं. 11, नजदीक केवी पैलेस, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर – 335051

बनाम

अति. जिला कलक्टर एवं **प्रभारी अधिकारी (विधि शाखा)**, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनिल कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 250/– प्रतिदिन शास्ति लगाकर, वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अनिल कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

> याचिका संख्या एसबी सिविल रिट 1093/86 नानक राम बनाम राजस्थान स्टेट व अन्य निर्णय दिनांक 16.12.91 के क्रम में निम्न दस्तावेज (यह याचिका जिला कार्यालय के एलए शाखा में है, निर्णय की प्रति संलग्न है।)
>
> 1. याचिका की प्रति मय संलग्न दस्जावेज
> 2. याचिका में दिये गये राज्य सरकार के जवाब की प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा से होने के कारण राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 401/ दिनांक 09.06.2023 से अपीलार्थी की मूल अपील प्रभारी अधिकारी (विधि शाखा) को हस्तांतरित की गई है और प्रभारी अधिकारी (विधि शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ16(5)( )विप्र/23/1368 दिनांक 23.05.223 लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को लिखते हुए, अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया हैः

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसके संबध में सूचना/उत्तर निम्नानुसार हैः
>
> 1. याचिका की पूर्ण प्रति संबंधित माननीय न्यायालय से पक्षकारों द्वारा नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
> 2. याचिका में दिये गये जवाब की प्रति भी संबंधित पक्षकार को माननीय न्यायालय के नियमानुसार प्रदत्त की जाती है।
>
> -sd-
> अतिरिक्त जिला कलक्टर
> श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर, श्रीगांगनगर ने उक्तानुसार अपीलार्थी को जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ) एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को भी आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर